न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–402/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00184)

1. सुरेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति महाजन, निवासी सिंघानिया ऑयल मिल ई–60, औधोगिक क्षेत्र खैरथल, जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला अलवर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 13.08.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 01.03.2012 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 217/रिवाल्वर/डीएम/02 बाबत 32 बोर रिवाल्वर संख्या ई–3264 जारी है जो दिनांक 31.12.2011 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी समय के नवीनीकरण के लिए दिनांक 23.12.2011 को नवीनीकरण प्रार्थना पत्र मय आचरण सम्बन्धी शपथ पत्र के साथ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके संलग्न शपथ पत्र में महज टाईपिस्ट की भूलवश यह अंकित किया गया कि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है जिस पर बाद आवेदन नवीनीकरण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अलवर से प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 86/10 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भा.द.सं एवं 3 एससी/एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज होने के कारण अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नही करने का अभिमत जाहिर किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त रिपोर्ट पश्चात् अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किया जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि नवीनीकरण प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश करते समय टाईपिस्ट द्वारा बिना अपीलान्ट से वास्तविक जानकारी लिऐ अपीलान्ट के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज नही होना अंकित कर दिया जिसमें अपीलान्ट की कोई बदनियति नही रही है और उक्त शपथ एवं प्रार्थना पत्र में दर्ज तमाम तथ्य सद्भाविक तौर पर दर्ज किये गये थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का अवगत कराया गया कि जो भी आदेश प्राप्त होगा उसकी लिखित सूचना अपीलान्ट को प्रेषित कर दी जावेगी।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय द्वारा लम्बे समय तक कोई सूचना अपीलान्ट को प्रेषित नही करने पर अपीलान्ट द्वारा सद्भाविक तौर पर दिनांक 26.09.2016 को अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित कार्यालय में सम्पर्क किया और जानकारी चाही जिस

P.T.O.

पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण का निर्णय दिनांक 01.03.2012 को ही कर दिया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देर के नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2016 को पेश कर दस्तावेज की नकलें प्राप्त कर मौजूदा अपील बिना किसी देर के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा देरी की अवधि सद्भाविक तौर पर कण्डोन किये जाने योग्य होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन एवं शपथ पत्र टाईपिस्ट द्वारा फोरमल तौर पर तैयार किया जाता है और जिसमें अपीलान्ट की बदनियती नही रही है जिस बाबत अपीलान्ट द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया गया जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नही किया गया। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 86/10 पुलिस थाना खैरथल अलवर में अपराध धारा 323, 341 भा.द.सं एवं 3 एससी/एसटी एक्ट दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा चालान सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढबास अलवर के समक्ष अपराध धारा 323, 341 आई.पी.सी में दर्ज किया गया जिस तथ्य पर कतई गौर नही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकरण के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण प्रार्थना आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत अस्वीकार किया गया उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट एवं परिवादी रामावतार पुत्र नारायण का लोक अदालत की भावना से बाहमी राजीनाम हो गया और जिस राजीनामें को अपीलान्ट एवं प्रकरण के परिवादी रामावतार द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढबास अलवर के समक्ष पेश किया जिसे बाद परिशीलन न्यायालय द्वारा स्वीकार कर राजीनामा तस्दीक करते हुए प्रकरण में अपीलान्ट को बरी कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है जिसके आधार पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 01.03.2012 को अपास्त कराने तथा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन को स्वीकार कर अपने अनुज्ञा पत्र संख्या 217/रिवाल्वर/डीएम/02 बाबत 32 बोर को आगामी समय के लिऐ नवीनीकरण कराने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 01.03.2012 को अपास्त किये जाने तथा अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अनुज्ञा पत्र संख्या 217/रिवाल्वर/डीएम/02 बाबत 32 बोर को आगामी समय के लिऐ नवीनीकरण करने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

रेस्पोउेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढबास जिला अलवर के समक्ष दायर प्रकरण संख्या 130/2010 के निर्णय दिनांक 10.01.2013 द्वारा प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के फलस्वरूप राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली लेख भण्डार के आदेश दिये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।